प्रेस नोट **12/08/20254**

<u>03 शातिर हत्यारोपित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक चाकू (आलाकत्ल) बरामद–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री व क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोपागंज पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 11/12.08.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर डांडी चट्टी व भादसामानोपुर हाइवे तिराहे के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 203/24 धारा 103 बीएनएस व 4/25 आयुद्ध अधिनियम में वांछित अभियुक्तों क्रमशः अलकमा पुत्र हेसामुद्दीन निवासी मुहल्ला हुंसापुरा थाना कोपागंज मऊ, अबुशामा पुत्र निजामुद्दीन निवासी वाजिदपुर थाना कोपागंज मऊ व नासिर पुत्र असलम निवासी हकीमपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से आलाकत्ल एक अदद चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. अलकमा पुत्र हेसामुद्दीन निवासी मुहल्ला हुंसापुरा थाना कोपागंज मऊ।
2. अबुशामा पुत्र निजामुद्दीन निवासी वाजिदपुर थाना कोपागंज मऊ।
3. नासिर पुत्र असलम निवासी हकीमपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. आलकत्ल 01 अदद चाकू।

<u>05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल की चेचिस व अन्य पार्ट्स एवं एक अवैध पिस्टल बरामद–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रानीपुर पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 12.08.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर कि सूचना पर भैसही पुल (चकिया) के पास खड़े 04 संदिग्ध व्यक्तियों से पुछताछ की गई तो उनके द्वारा अपना नाम पता क्रमसः अमित यादव पुत्र स्व0 सान्ता यादव निवासी हफीजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ, अजीत राम पुत्र स्व0 रामकरन निवासी धनमाऊर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर, किराधन यादव पुत्र रामबचन यादव निवासी निजामपुर कर्मी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ व इन्द्रसेन यादव पुत्र दशरथ यादव निवासी खेमा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ बताया गया। तलाशी के दौरान उक्त के कब्जे से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 139/24 धारा 303 बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की मोटरसाइकिल एवं एक अदद चेचिस व उसके पार्ट्स एक अदद पिस्टल 09 एमएम एवं घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुआ तथा इनके निशानदेही पर इन्द्रसेन यादव के गैराज से जितेन्द्र यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी सेमरौल थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के पास से चोरी की मोटरसाइकिल यूपी 54जेड 0350 के पार्ट्स व अन्य सामान बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में पंजीकृत उक्त अभियोग में धारा 317(5),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व आयुद्ध अधिनियम के अर्न्तगत धाराओं की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. अमित यादव पुत्र स्व0 सान्ता यादव निवासी हफीजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

2. अजीत राम पुत्र स्व0 रामकरन निवासी धनमाऊर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।
3. किराधन यादव पुत्र रामबचन यादव निवासी निजामपुर कर्मी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।
4. इन्द्रसेन यादव पुत्र दशरथ यादव निवासी खेमा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
5. जितेन्द्र यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी सेमरौल थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

1. चोरी की एक मो0साईकिल व एक मो0साईकिल के पार्ट्स।
2. एक अवैध पिस्टल 9 एमएम।
3. घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल स्प्लेंडर प्लस।
4. एक अन्य मोटरसाईकिल स्प्लेंडर प्लस।

<u>गैगेस्टर एक्ट में वांछित 50000रू का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार-</u>

दिनांक 11.08.2024 को एसटीएफ लखनऊ एवं थाना कोपागंज की टीम द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर शाहगढ़, आजमगढ़ के पास से मु0अ0सं0 341/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द नि0 अधि0 में वांछित एवं 50000 रू0 का इनामिया अभियुक्त राहुल गौड़ पुत्र भरत गौड़ निवासी सिकरौर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 12.08.2024 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर कि सूचना पर भवानीसराय के पास से मु0अ0स0 226/24 धारा 333,74,115(2),352,351(2)बीएनएस मे वांछित अभियुक्त सुनील राजभर पुत्र नरेश राजभर निवासी भवानीसराय थाना मधुबन जनपद मऊ तथा मु0अ0स0 216/24 धारा 308(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अजय पाण्डेय पुत्र कन्हैया पाण्डेय निवासी परशुरामपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को अहिरौली तिराहा के पास से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को आयुध अधिनियम में कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि व ₹2000 अर्थदंड से हुये दंडित-</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम / सीनियर डिविजन जनपद मऊ द्वारा दिनांक 12-08-2024 को मु0अ0सं0 197/1997 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त मख़डू पुत्र परशुराम निवासी जयनगर थाना बरहज जनपद देवरिया को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा ।